

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरिन्द्र सिंह

बनाम

सुरजीत सिंह कौं

किस्म मुकदमा


इजाजत

नं.

8

सन्

2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11-06-18	<p>वकील डिफ्रीदार ने उपरिष्ठ होकर इजाजत निश्च की। इजाजत दर्ज सप्लायर की जावे। न्यायालय द्वारा पारिद निम्न व डिफ्री की फाउल हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जाकर पब्लिसी दिनांक 29-6-18 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">Gm,</p>	
21-6-19	<p>पत्रावली भेजा हुई। न्यायालय के निर्देश की पाबना राजस्व विभाग में जसिमे नामां 985 डि. 2018/18 द्वारा किया जाना तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है। अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अमेकित नहीं है। पत्रावली के संलग्नकार होकर दफ्तर दाखिल है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) उपरिष्ठ कार्यवाही श्रीमाधोपुर </p>	<p>जा. सं. 985 2018/18</p>